राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान ज़िंक लि. की खानों,स्मेल्टरों से निकालने वाले पारे पर प्रदूषण विभाग की चुप्पी!!!

जबकि जांच के दौरान प्रदूषण विभाग ने माना कि कंपनी के चंदेरिया स्मेल्टर मे सल्फ्यूरिक एसिड मे छोड़ा जा रहा है जानलेवा पारा!!!

भाग-5

जबकि चंदेरिया(चित्तौड़गढ़)स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों के खेत और जीवन दोनों संकट मे!!!

कंपनी के दरीबा(राजसमंद) और देबारी(उदयपुर) स्थित स्मेल्टरों मे, पारे के शोधन की जांच के मामले मे, कंपनी और प्रदूषण विभाग दोनों को देते नहीं बन रहा जवाब!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/ak/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 4 मार्च 2022

हिंदुस्तान ज़िंक के खनन से राजस्थान मे मच रहा हाहाकार!!

जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से,
कंपनी की खानो और स्मेल्टरों से हो रहा,
वायु प्रदूषण,जल प्रदूषण,अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग!!!

मानव जीवन,खेत खलिहान,नदी तालाब,पेड़ पौधे सब खतरे मे!!!
ज़िंक अयस्क मे रहने वाला पारा हर रूप मे खतरनाक!!!
व्यापक जांच और शोध की जरूरत!!!

एनजीटी लगा चुका है कंपनी की आगुचा माइंस(भीलवाडा) पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जमा करवाने के आदेश!!!

एनजीटी का आदेश और स्थानीय निवासियों की परेशानियाँ, हमारे दावो की कर रहे पुष्टि!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

हिंदुस्तान ज़िंक लि. की रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा (राजसमंद) और कायड(अजमेर)मे है खाने,साथ ही चंदेरिया(चित्तौड़गढ़),दरीबा(राजसमंद) और देबारी (उदयपुर)मे है स्मेल्टर प्लांट

हिंदुस्तान जिंक लि द्वारा जारी किए गए आंकड़ो के अनुसार कंपनी ज़िंक लेड का खनन करने वाली विश्व की दूसरी,जिंक लेड का स्मेलटिंग करने मे विश्व की चौथी एवं चाँदी के उत्पादन मे विश्व की छट्ठी कंपनी है|भारत की ज़िंक इंडस्ट्री मे इसका शेयर 77% है|

राजस्थान मे कंपनी की रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा(राजसमंद) और कायड(अजमेर)मे जिंक,लेड की खाने है|साथ ही चंदेरिया(चित्तौड़गढ़),दरीबा(राजसमंद) और देबारी(उदयपुर)मे कंपनी के स्मेल्टर प्लांट है|

राज्य की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान ज़िंक लि. की खानों,स्मेल्टरों से निकल रहा जानलेवा पारा|कंपनी के स्मेल्टरों मे नहीं किया जा रहा पारे का शोधन

पिछली रिपोर्ट मे हमारे द्वारा खुलासा किया गया था कि हिंदुस्तान जिंक लि. की खानो रामपुरा आगुचा(भीलवाडा),सिंदेसर खुर्द(राजसमंद)जावर(उदयपुर)राजपुरा दरीबा(राजसमंद) और कायड(अजमेर) से निकलने वाले जिंक अयस्क मे पाये जाने वाले पारे का शोधन उसके स्मेल्टरो; दरीबा-राजसमंद और देबारी-उदयपुर मे नहीं किए जाने से यह जिंक अयस्क के एक अन्य उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड मे घुल रहा है|इस बात का खुलासा तब हुआ जब कंपनी द्वारा अपने चंदेरिया-चित्तौड़गढ़ स्थित स्मेल्टर मे वर्ष 2019 मे Mercury Removel System लगाने की बात प्रदूषण विभाग को सौंपी गयी अपनी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मे स्वीकार की गयी थी,जिसका सीधा अर्थ था कि इससे पूर्व इस स्मेल्टर मे भी पारे को अलग नहीं किया जा रहा था|इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वर्तमान मे इस प्लांट से पारे को अलग करने की प्रक्रिया अपनायी भी जा रही है या नहीं|

आपको ज्ञात हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट,ज़िंक सल्फेट,फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट,सीमेंट,धातु उद्योग,केमिकल/डाई फैक्ट्रियों और खाद और उर्वरक बनाने के कारखानों मे किया जाता है|कंपनी द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड से पारे को अलग नहीं करने से वर्षो से पारा डिटर्जेंट,सीमेंट,धातु उद्योग,केमिकल/डाई,खाद और उर्वरक के जरिये हमारे वातावरण और शरीर मे जहर बन कर घुल रहा है और कई खतरनाक बीमारियाँ पैदा कर रहा है|

कंपनी के स्मेल्टरों द्वारा पारे का शोधन नहीं करने के मामले मे प्रदूषण विभाग की लीपापोती!!

चंदेरिया स्थित स्मेल्टर प्लांट के निरीक्षण मे दिखी फौरी कार्यवाही

इस मामले मे फ़र्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रदूषण विभाग की नींद खुली और मामले की जांच के आदेश दिये|जिस पर दिनांक 10/09/2021 को प्रदूषण विभाग,चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा प्लांट का निरीक्षण किया गया|निरीक्षण के दौरान प्लांट के अधिकारी द्वारा बताया गया कि चंदेरिया स्मेल्टर मे पहले भीलवाडा स्थित रामपुरा आगुचा माइंस से लाये गए जिंक अयस्क का शोधन किया जाता था,जिसमे पारे और इसके अन्य अवयवों की मात्रा ना के बराबर (10 PPM से भी कम)होने से इस स्मेल्टर मे पारे और इसके अन्य अवयवों का शोधन नहीं किया जाता था|वर्तमान मे चंदेरिया स्मेल्टर मे राजसमंद स्थित सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले अतिरिक जिंक अयस्क का शोधन किया जा रहा है,जिसमे पारे और इसके अन्य अवयवों की मात्रा 40-50 PPM के आस-आस है,जिसके लिए कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण के दौरान हवाला दिया गया है|ज़िंक अयस्क से पारा मरक्यूरस क्लोराइड यानि केलोमल के रूप मे प्राप्त होता है|कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण मे पारे और इसके अन्य अवयवों का उत्पादन 0.0 MTPA बताया गया है,जबकि पहले इनका उत्पादन 22.0 MTPA था|कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि पारे और इसके अवयवो को अब हेजर्डियस प्रोडक्ट नहीं मानकर बाय-प्रॉडक्ट माना जाता है|क्यूंकी पारे की कीमत 40-50 लाख प्रति टन है|कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार स्मेल्टर मे तीन मर्करी रेमूवल टावर क्रमश: हाईड्रो-1,हाईड्रो-2 और पायरों मे वर्ष 2005,2006 और वर्ष 1990 से ही लगे हुए है लेकिन वर्ष 2020 तक इन तीनों टावरो मे नगण्य रूप मे केलोमल का उत्पादन किया जाता था|कंपनी द्वारा दिनांक 14/10/2020 को प्रस्तुत ईसी नवीनीकरण के बाद से 6 MT केलोमल का उत्पादन किया जा रहा है|

कंपनी के जवाब पर प्रदूषण विभाग ने मांगे दस्तावेज़,साथ ही माना कि पारे का शोधन नहीं करने के दौरान यह प्रवाहित कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड मे|

कंपनी द्वारा दिये गए जवाब पर प्रदूषण विभाग द्वारा स्मेल्टर के प्रभारी से उनके दावो के पुष्टि के संदर्भ मे निम्न दस्तावेज़ मांगे गए है जो कि निम्न है:-

1. रामपुरा आगुचा और सिंदेसर खुर्द से आने वाले जिंक अयस्क मे पारे की उपलब्धता से संबन्धित विगत 5 सालो के आंकड़े एवं संबन्धित रिपोर्ट|
2. ज़िंक अयस्क से प्राप्त होने वाले सभी उत्पादो,सह-उत्पादो,हेजर्डियस वेस्ट मेटेरियल से संबन्धित विगत 5 सालो के सम्पूर्ण आंकड़े,साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड मे पारे की मौजूदगी से संबन्धित 5 सालो के आंकड़े|
3. प्रत्येक माइंस से आने वाले ज़िंक अयस्क के अनुसार चंदेरिया स्मेल्टर मे खपत होने वाले ज़िंक अयस्क की सालाना रिपोर्ट (किस खान से कितना अयस्क हर साल लाया गया)|
4. कंपनी के एसिड प्लांट मे से निकलने वाले पारे की 5 सालो की एनेलेसिस रिपोर्ट |
5. विगत 5 सालों की सालाना केमिकल कंजमप्शन रिपोर्ट|

विभाग द्वारा उक्त रिपोर्टों को शीघ्र मुख्यालय स्तर पर जमा करने की सलाह भर दी गयी|जबकि अब तक तो ऐसे गंभीर मामले मे कंपनी को शो कॉज़ नोटिस जारी किए जा चुकने थे|

इन दस्तावेजों के साथ विभाग के अधिकारी द्वारा यह भी चौंकने वाला खुलासा किया गया कि चंदेरिया स्मेल्टर को जारी नवीन पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 14/10/2020 पूर्व मे जारी कनसेंट टू ओपरेट और कनसेंट टू स्टेबलिश मे स्मेल्टर के तीनों एसिड प्लांटों मे से पारे के शोधन हेतु कोई निर्धारित मानक तय नहीं किए गए है|ऐसे मे कैसे तय होगा कि कंपनी द्वारा किन शर्तों/ मानको का उल्लंघन किया जा रहा है?

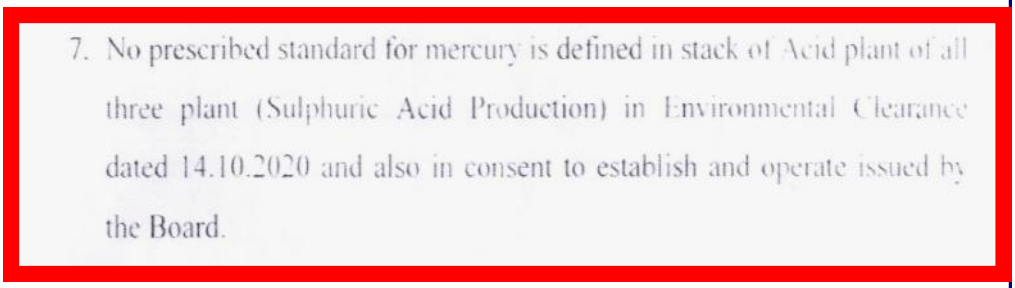

7. No prescribed standard for mercury is defined in stack of Acid plant of all three plant (Sulphuric Acid Production) in Environmental Clearance dated 14.10.2020 and also in consent to establish and operate issued by the Board.

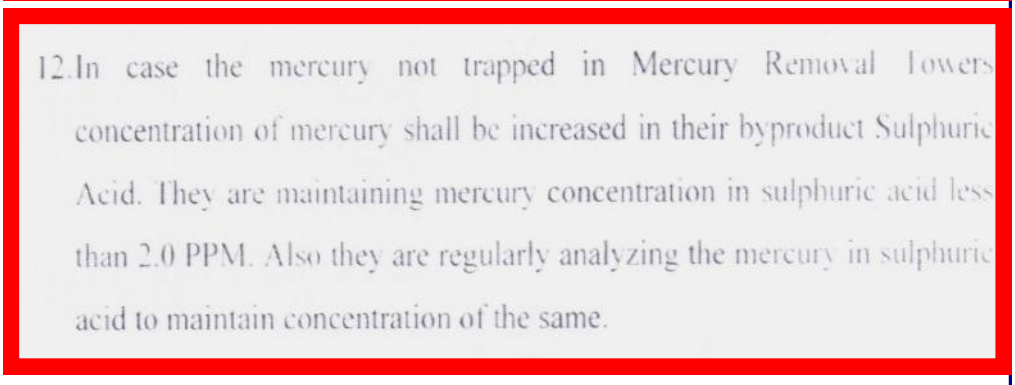

12.In case the mercury not trapped in Mercury Removal Towers concentration of mercury shall be increased in their byproduct Sulphuric Acid. They are maintaining mercury concentration in sulphuric acid less than 2.0 PPM. Also they are regularly analyzing the mercury in sulphuric acid to maintain concentration of the same.

साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि यदि स्मेल्टर के मर्करी रेमुवल टावरो मे से पारा अलग नहीं होता तो इसे सल्फ्यूरिक एसिड मे प्रवाहित कर दिया जाता है|साथ ही यह भी दावा किया कि कंपनी द्वारा स्मेल्टर से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड मे पारे की मात्रा को 2.0 PPM से कम रखा जाता है|

विभाग के गैरजिम्मेदाराना बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान मे प्रदूषण विभाग के पास ऐसा कोई मेकेनिज़्म नहीं है जिससे कंपनी द्वारा उसके स्मेल्टरों मे पारे के शोधन या सल्फ्यूरिक एसिड मे पारे की मात्रा तय करने पर कोई निगरानी रखी जा सके|विभाग द्वारा स्वयं कोई जांच नहीं करवाकर मात्र कंपनी से ही कागजी कार्यवाही पूरी करवायी जा रही है|

कंपनी के दरीबा(राजसमंद) और देबारी(उदयपुर) स्थित स्मेल्टरो मे पारे के शोधन के सवाल पर कंपनी और प्रदूषण विभाग दोनों की चुप्पी|

हमारे द्वारा प्रदूषण विभाग द्वारा कंपनी के तीनों स्मेल्टरों (चंदेरिया,दरीबा और देबारी) मे पारे के शोधन की जांच करवाने का अनुरोध किया गया था लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण विभाग के चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा कंपनी के चंदेरिया स्थित स्मेल्टर की जांच करने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ही साहस किया गया|इस मामले मे विभाग के दो अन्य जिलो राजसमंद और उदयपुर और मुख्यालय के अधिकारी मुंह पर ताला लगाए बैठे हुए है|उदयपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री विनय कट्टा द्वारा अपने पत्र मे यह बताया गया कि उनके द्वारा कंपनी के देबारी स्थित स्मेल्टर का निरीक्षण दिनांक 11/09/2022 को किया गया था|लेकिन निरीक्षण मे क्या कमियाँ पायी गयी इसका खुलासा उनके द्वारा नहीं किया गया और ना ही सूचना के अधिकार के तहत अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी| प्रदूषण विभाग के राजसमंद स्थित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तो उनके अधिकार क्षेत्र मे स्थित कंपनी के दरीबा स्मेल्टर मे,इस मामले से संबन्धित किसी जांच का हवाला नहीं दिया गया और ना ही सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी उपलब्ध करवाई |इतना ही नहीं इस मामले मे प्रदूषण विभाग का मुख्यालय भी मूक दर्शक बना हुआ है और मात्र चिट्ठियाँ लेने देने का काम कर रहा है|

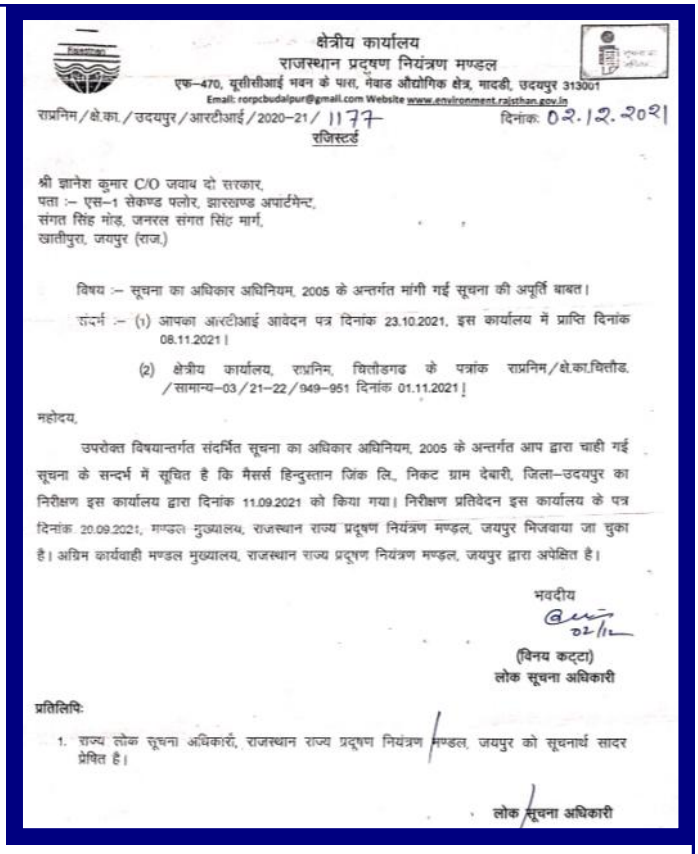

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ–470, यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर 313001
Email: rorpcbudaipur@gmail.com Website www.environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम/क्षे.का./उदयपुर/आरटीआई/2020–21/ 1177 दिनांक: 02.12.2021

रजिस्टर्ड

श्री ज्ञानेश कुमार C/O जवाब दो सरकार,
पता :– एस–1 सेकण्ड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेन्ट,
संगत सिंह मोड़, जनरल संगत सिंह मार्ग,
खातीपुरा, जयपुर (राज.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना की अपूर्ति बाबत।

संदर्भ :– (1) आपका आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2021, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 08.11.2021।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, चित्तौडगढ के पत्रांक राप्रनिम/क्षे.का.चित्तौड. /सामान्य–03/21–22/949–951 दिनांक 01.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचित है कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., निकट ग्राम देबारी, जिला–उदयपुर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.09.2021 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.2021, मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर भिजवाया जा चुका है। अग्रिम कार्यवाही मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा अपेक्षित है।

भवदीय
(विनय कट्टा)
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी

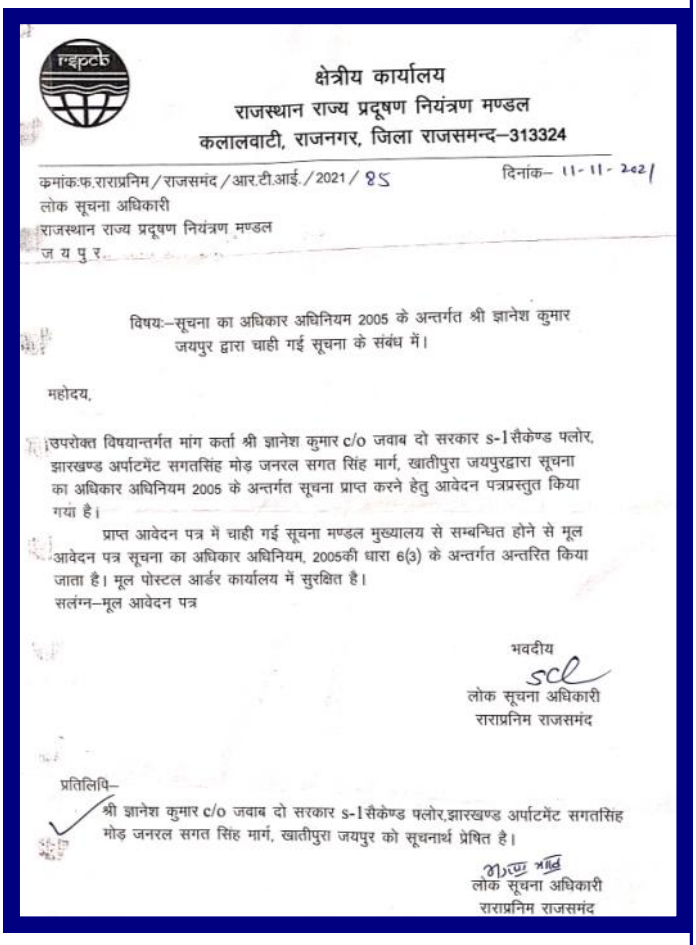

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कलालवाटी, राजनगर, जिला राजसमन्द–313324

क्रमांक:फ.राराप्रनिम/राजसमंद/आर.टी.आई./2021/ 85 दिनांक– 11-11-2021

लोक सूचना अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
ज य पु र

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री ज्ञानेश कुमार जयपुर द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मांग कर्ता श्री ज्ञानेश कुमार c/o जवाब दो सरकार s-1सैकेण्ड फ्लोर, झारखण्ड अर्पाटमेंट सगतसिंह मोड़ जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा जयपुरद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रप्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना मण्डल मुख्यालय से सम्बन्धित होने से मूल आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाता है। मूल पोस्टल आर्डर कार्यालय में सुरक्षित है।
सलंग्न–मूल आवेदन पत्र

भवदीय
लोक सूचना अधिकारी
राराप्रनिम राजसमंद

प्रतिलिपि–
श्री ज्ञानेश कुमार c/o जवाब दो सरकार s-1सैकेण्ड फ्लोर,झारखण्ड अर्पाटमेंट सगतसिंह मोड़ जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी
राराप्रनिम राजसमंद

हिंदुस्तान ज़िंक सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा उत्पादक,सल्फ्यूरिक एसिड मे घुल कर हम तक पहुँच रहा है घातक पारा|

हिंदुस्तान ज़िंक लि की अधिकृत वैबसाइट के अनुसार कंपनी के दरीबा स्थित प्लांट से 0.6 मिलयन चंदेरिया प्लांट से 0.6 मिलयन एवं देबारी प्लांट से 0.3 मिलयन टन सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है इस प्रकार 1.5 मिलयन टन अर्थात 15 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड का वार्षिक उत्पादन किया जाता है|जिसको वाणिज्यिक उपयोग हेतु सीमेंट,केमिकल,खाद एवं उर्वरक आदि कारखानो को बेच दिया जाता है|

सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फास्फेट,ज़िंक सल्फेट,फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट,सीमेंट,धातु उद्योग,केमिकल/डाई फैक्ट्रियों और खाद और उर्वरक बनाने के कारखानों मे किया जाता है|यदि उचित समय पर सल्फ्यूरिक एसिड से पारे को अलग नहीं किया जाए तो यह विभिन्न उत्पादो,खाद्य पदार्थो के द्वारा हमारे वातावरण और शरीर मे जहर बन कर घुल रहा है|यदि आज तक के हिंदुस्तान ज़िंक के कुल उत्पादन का ब्यौरा निकाला जाए तो उस हिसाब से सैंकड़ों टन पारा हमारे आस पास के वातावरण मे फैल चुका है और आगे भी फ़ैल रहा है|

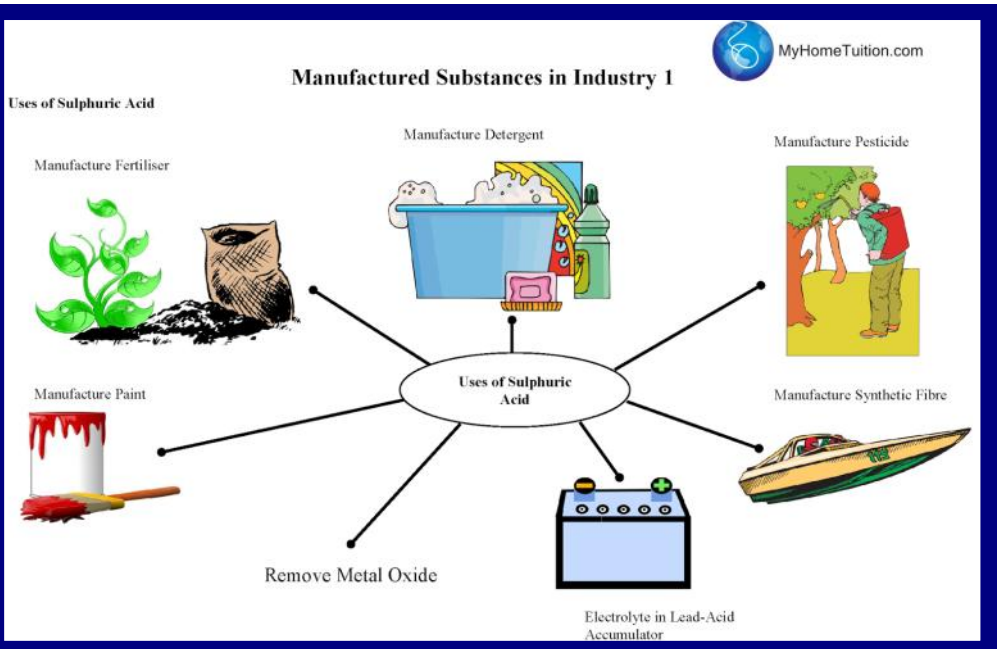

चंदेरिया(चित्तौड़गढ़)स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों के खेत और जीवन दोनों संकट मे!!!

एक तरफ जहां हिंदुस्तान ज़िंक लि यह दावा कर रहा है कि उसके चंदेरिया स्थित स्मेल्टर मे मर्करी रिमुवल सिस्टम लगा दिया गया है और पारे को केलोमल के रूप मे अलग किया जा रहा है,वही प्रदूषण विभाग के अधिकारी यह रिपोर्ट दे रहे है कि कभी कभी प्लांट मे पारे की शोधन प्रक्रिया सुचारु नहीं होने से यह सल्फ्यूरिक एसिड मे मिल रहा है|इसी बीच प्रदूषण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुछ दस्तावेजो से इस बात का खुलासा हुआ है कि स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से स्थानीय निवासियों के खेत और स्थानीय जन जीवन दोनों संकट मे है|ऐसे ही मामलो मे आई एक शिकायत पर प्रदूषण विभाग द्वारा बताया गया कि जिंक फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसों से चित्तौड़गढ़ के गाँव पुठोली के 129 प्रभावित किसानो एवं गाँव मूंगा का खेड़ा के 210 प्रभावित किसानो को 1182520/- राशि मुआवजे के रूप मे देने की अनुशंसा की गयी थी|

हिंदुस्तान जिंक से फैल रहा प्रदूषण

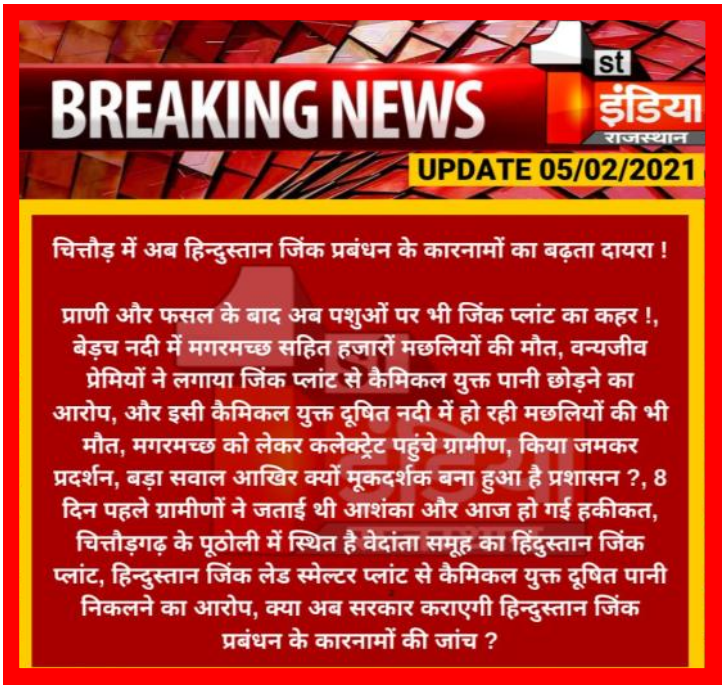

96
&
20

ई मेल– ro.chittorgarh@gmail.com 01472–294158

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया , चित्तौडगढ़

क्रमांक/रा.प्र.नि.म./क्षे.का चित्तौड़/ 2021–22/342-343 दिनांक: 02-07-2021

प्रभारी अधिकारी (HOGM).
रा.प्र.नि.म.
जयपुर

विषयः–हिन्दुस्तान जिंक द्वारा छोड़े गये एसिड युक्त पानी से किसानों के खेत खराब होने से मुआवजा दिलवाने बाबत् शिकायत।

संन्दर्भः– मण्डल मुख्यालय पत्र क्रंमाक एफ–19(7)/रा.प्र.नि.म./वी.टी.आर. शिकायत/आर.ओ. चितौड़/3323–3324 दिनांक: 07.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त शिकायत तथा कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के संबध में तथा समस्त विभागों की संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मण्डल मुख्यालय जयपुर द्वारा पंत्राक F-Tech/RPCB/HOGM/(M-87)/UID-263/1168-1173 दिनांक17.02. 2021(प्रति संलग्न–1) के द्वारा इकाई को निर्देशित किया जा चुका है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी मुआवजे का संधारण किया जाए उसे जमा करवाये जाए। इसके अतिरिक्त कृषि फॉर्म की दशा सुधारने हेतु ऑरगेनिक खाद तथा जिप्सम जहाँ आवश्यकता हो वहां उपल्बध करवाया जाए। इस संवध मे अतिरिक्त जिला क्लेक्टर (प्रशासन) चितौडगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ़ को पत्रांक क्रंमाक/राजस्व/12–12(23)2021/480 दिनांक 17.03. 2021(प्रति संलग्न–2) के द्वारा मुआवजा तय करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः यह प्रकरण जिला प्रशासन स्तर पर ही लम्बित है, तथा मण्डल मुख्यालय द्वारा पालना हेतु इकाई को निर्देशित किया जा चुका है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम चित्तौडगढ़

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–
1 प्रभारी अधिकारी (पी.सी.वी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम चित्तौडगढ़

230
22

ई मेल– rochittorgarh@gmail.com 01472–255077

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एफ.सी.आई गोदाम के पास, चन्देरिया , चित्तौडगढ़

D: No:- 693-694 दिनांक:- 02-09-21

प्रभारी अधिकारी (पी.सी.वी)
रा.प्र.नि.म.
जयपुर।

विषय:–जिंक फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से फसल खराब व अंन्य नुकसान का मुआवजा दिलवाने बाबत शिकायत।

सन्दर्भ:–आपका पत्र क्रमांक.एफ–19(7)/रा.प्र.नि.म./वी.टी.आर.शिकायत/आर.ओ. चित्तौड़/104–105 दिनांक 16.07.2021 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संन्दर्भ में निवेदन है कि माननीय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ के पत्र क्रमांक 361
दिनांक 28.12.2020 के द्वारा उधोग मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, गॉव– पुठौली, चित्तौड़गढ के संयत्र से निकली गैस
सें फसल खराव के संबध मे घटना की जॉच हेतु संयुक्त विभागीय दल का गठन किया गया जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी रा.
प्र.नि.म. चित्तौड़गढ, महाप्रवन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ तथा वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एंव वायलस, चित्तौड़गढ
को नियुक्त किया गया। उक्त दल द्वारा दिनांक 30.12.2020 को उक्त इकाई का संयुक्त निरीक्षण किया गया । निरिक्षण
रिपोर्ट (प्रति संलग्न) के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उधोग को दिनांक 30.12.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी
किया गया (प्रति संलग्न)। उक्त रिपोर्ट के आधार पर इकाई को यह भी निर्देश दिये गये कि इस घटना से प्रभावित
कृषको को उचित मुआवजा सम्बन्धित विभाग के आकंलन के अनुसार दिया जावे। कार्यालय तहसीलदार गंगरार, जिला
चितौडगढ के पत्र दिनांक 21.01.2021 (प्रति संलग्न) के अनुसार कृषि विभाग व राजस्व विभाग द्वारा प्रभावित किसानों की
गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ग्राम पुठोली के 129 प्रभावित कृषको एवं ग्राम मुँगा का खेड़ा के 210 प्रभावित
कृषको को मुआवजा राशि रूपये 1182520/– देने की अनुशंशा की गई।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित हैं।

भयदीय

(महावीर मेहता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:–प्रभारी अधिकारी (HOGM) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

एनजीटी लगा चुका है कंपनी की आगुचा माइंस(भीलवाडा)पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जमा करवाने के आदेश!!!

पिछले माह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हिंदुस्तान जिंक लि पर 25 करोड़ की क्षति-पूर्ति तत्काल जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा के यहा जमा करवाने और तीन सदस्यीय कमिटी का गठन कर,इलाके की भूमि और जल को हुए नुकसान का आकलन कर उसे पुनर्स्थापित करने की योजना बनाने के आदेश जारी किए थे|आदेश के अनुसार, इस कमिटी मे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और भीलवाडा के जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे|इस मामले मे दर्ज याचिका मे कहा गया था कि भीलवाडा के आगुचा क्षेत्र मे करीब 1200 हेक्टेयर क्षेत्र मे कंपनी की खाने है,जो लगातार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही है|इन खानो मे कंपनी की और से भूमिगत ब्लास्टिंग की जाती है,जिससे इलाके के ग्रामीणो को पेयजल मे प्रदूषण की समस्या के अलावा दमा और चर्म रोग की समस्या भी हो रही है|साथ ही घरो और खेतो मे धूल के कण भर जाते है|खानो से जहरीला पानी छोड़ा जाता है|

NGT IMPOSES ₹25 CR PENALTY ON HZL FOR FLOUTING ENVIRONMENTAL NORMS

Nirmal Tiwari

Jaipur: The National Green Tribunal (NGT) has imposed a fine of Rs 25 crore on Hindustan Zinc Limited for violating environmental norms in Bhilwara.

At the same time, the NGT also ordered to constitute a three-member committee to assess the damage caused to land and water in the area and to make a plan for its restoration.

The panel will also assess the damage caused to people's health and livestock in the area and will work for their improvement. A bench headed by Justice Adarsh Kumar Goyal issued directions. He instructed HZL to deposit fine amount to DM, Bhilwara within three months. The bench ordered formation of panel, which will include representatives of CPCB, RPCB & DM, Bhilwara. Panel was directed to file a compliance report by April 30, 2023.

एनजीटी का आदेश : पर्यावरण प्रदूषण फैलाने पर...

हिंदुस्तान जिंक को देनी होगी 25 करोड़ की क्षतिपूर्ति

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने राजस्थान के भीलवाड़ा में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदुस्तान जिंक को तीन महीने के अंदर यह क्षतिपूर्ति राशि भीलवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनजीटी ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर इलाके की भूमि और जल को हुए नुकसान का आकलन कर उसे पुनर्स्थापित करने की योजना बनाने के आदेश भी दिए हैं। यह कमेटी इलाके के लोगों और उनके पशुओं के स्वास्थ्य को हुए नुकसान का आकलन कर उनमें सुधार के लिए काम करेगा। इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भीलवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया कि उसके आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रेल 2023 तक दाखिल करें। याचिका भीलवाड़ा जिले के तहसील हुर्दा के अगुचा, रामपुरा, बारतिया, कोटरी, भोजरस, बारला, हुर्दा, भेरुखेड़ा और कोठिया पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने दायर की थी। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2020 को एनजीटी ने भीलवाड़ा के जिला कलक्टर और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त जांच कमेटी का गठन किया था, जिसका हिंदुस्तान जिंक ने विरोध किया। एनजीटी ने दूसरी कमेटी बनाई व इलाके में हुए नुकसान का आंकलन करने को कहा। कमेटी ने 7 सितंबर 2021 को रिपोर्ट सौंपी जिसमें पाया कि जहरीले पानी व भूमिगत ब्लास्टिंग से उड़द-मूंग की दालों का उत्पादन गत 2 वर्षों में काफी घटा है।

याचिका में ये कहा...

याचिका में कहा गया है कि इलाके में करीब 12 सौ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हिन्दुस्तान जिंक की खानें हैं, जो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती है। इन खानों में कंपनी की ओर से भूमिगत ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे इलाके के ग्रामीणों को पेयजल में प्रदूषण की समस्या के अलावा दमा और चर्म रोग की समस्या हो रही है। साथ ही घरों और खेतों में धूल के कण भर जाते हैं। खानों से जहरीला पानी छोड़ा जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने इसे अधिसूचित इलाका घोषित कर दिया है।

एनजीटी का आदेश और स्थानीय निवासियों की परेशानियाँ,पारे की भयावहता की कर रहे पुष्टि!!!

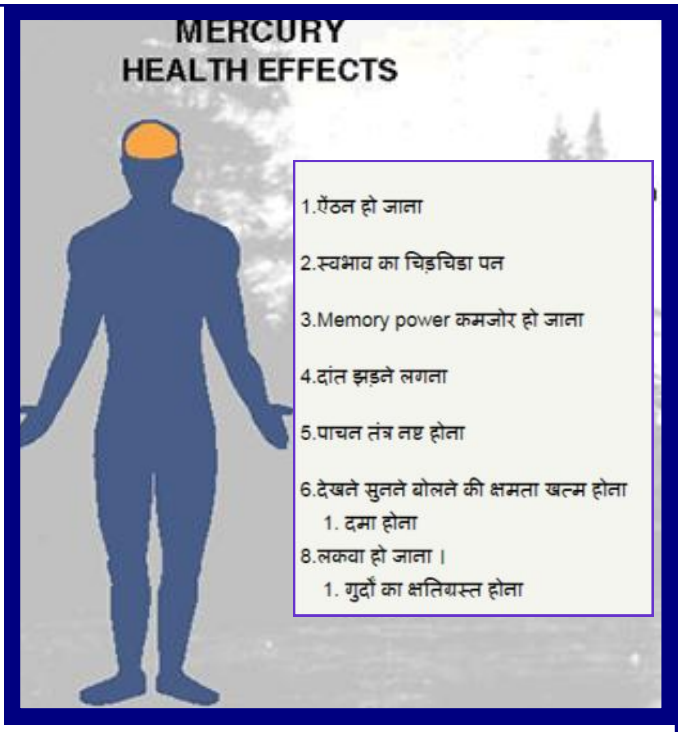

पारा एक भारी धातु है लेकिन सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है| यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है| वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहां बना रहता है| यह हवा, पानी, जमीन और जीव-जंतुओं में घुल जाता है| इंसान तक पहुंचने पर यह घातक असर दिखाता है| विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, "इंसान की सेहत के लिए पारा बहुत ही जहरीला है, गर्भ में पल रहे भ्रूण और बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है|" सांस के जरिए इंसानी शरीर में घुसने पर पारा तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता और प्राण घातक साबित हो सकता है|यूनेप के मुताबिक बीते एक दशक में 260 टन जहरीला पारा जमीन से बहता हुआ नदियों और झीलों में पहुंच चुका है| समुद्र की ऊपरी की 100 मीटर की तह पर बीते 10 साल में पारे की मात्रा दोगुनी हो चुकी है|

शायद यही कारण है कि यह चाहे खानो से निकलने वाली धूल मे हो या फिर पानी मे घुला हुआ है या फिर हवा मे वाष्पीकृत हो यह हर रूप मे कंपनी की खानो और स्मेल्टरों के आस-पास के सैंकड़ों गांवो-कस्बो और शहरो की आबोहवा और जल जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है|इतना ही नहीं यह सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा डिटर्जेंट,सीमेंट,धातु उद्योग,केमिकल/ डाई,पेंट,खाद,उर्वरक और अन्य सामग्रियों के जरिये खाद्य श्रंखला से होता हुआ,इन स्थानो से कोसो दूर बैठे लाखो-करोड़ो मनुष्यों के जीवन मे प्रवेश कर चुका है और गुमनाम मौतों,बीमारियों का कारण बन रहा है|लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कड़ी कार्यवाही नहीं कर कंपनी की तूती बजा रहे है|

स्वामी सानंद न होते तो NGT के लिये शायद अब भी राज ही रहता सोनभद्र का जहरीला पारा

जानिये ग्रासिम इंडस्ट्री की फैक्ट्री पर जुर्माने और जहरीले पारे की पूरी कहानी।

By: रफतउद्दीन फरीद
Published: 28 Jul 2019, 03:55 PM IST Sonbhadra, Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

सोनभद्र . नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर जो एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, यह संभव हो सका गंगा के लिये अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले प्रो. जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद की वजह से। स्वामी सानंद ने ही चार साल पहले इलाके में पारे के खतरनाक स्तर पर भंडारण के बारे में एनजीटी की कोर कमेटी को जानकारी दी थी। उसी के बाद आयी रिपोर्ट पर एनजीटी ने ग्रासिम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री पर 1 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। जुर्माना सोनभद्र की दुद्धी तहसील के रेनुकूट में स्थित फैक्ट्री में बाई-प्रॉडक्ट के तौर पर निकलने वाले पारे का भारी मात्रा में स्टॉक जमा करने के लिए लगाया गया है। जुर्माना एनजीटी पास जमा होगा, जो इस धनराशि का उपयोग प्रभवित क्षेत्रों में नष्ट हुए पर्यावरण को पुनर्जीवित करने में करेगा।

8/16/2021
Home › Business

NGT orders inspection of Parle Agro Private Ltd's unit in UP

The tribunal directed the industrial unit to furnish complete set of papers to the CPCB and UPPCB.

By PTI

NEW DELHI; The National Green Tribunal has directed the departments concerned to conduct an inspection of beverage maker Parle Agro Private Ltd's unit in Uttar Pradesh to ascertain whether the industry is releasing mercury beyond the permissible limit.

पारे के संबंध मे एनजीटी द्वारा ग्रेसीम और पारले कंपनियों के विरुद्ध दिये गए निर्णय

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या प्रदूषण विभाग द्वारा अपने स्तर पर रामपुरा आगुचा और सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले जिंक अयस्क मे पारे की उपलब्धता की जांच करवाई गयी है या फिर कंपनी के दावो को ही सही मान लिया गया है?

2. कंपनी के अनुसार उसके द्वारा सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले अतिरिक्त जिंक अयस्क के शोधन हेतु चंदेरिया स्मेल्टर के विस्तार हेतु वर्ष 2020 मे नवीन पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया था,कंपनी के इस कथन के अनुसार सिंदेसर खुर्द से निकलने वाले बाकी जिंक अयस्क का शोधन किस प्लांट मे किया जा रहा है?क्या उस प्लांट मे 40-50 PPM वाले जिंक अयस्क से पारे का शोधन किया जा रहा है?

3. चंदेरिया प्लांट के निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट्स,आंकड़ो को क्या कंपनी द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है?ज़िंक अयस्क से पारे के शोधन हेतु निर्धारित मानक क्या है?

4. पर्यावरण विभाग को सौंपी गयी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के बाद हिंदुस्तान ज़िंक द्वारा पारे की उपस्थिति स्वीकार की है|लेकिन इतने वर्षो से जो यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही थी उसके कारण चंदेरिया प्लांट से प्रति वर्ष निकल रहा Calomel यानि मरक्यूरस क्लोराइड आखिर कहाँ गया?

5. इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी द्वारा चंदेरिया प्लांट मे लगाया गया Mercury Removel System(Calomel Process) सही काम कर रहा है?और वहाँ से पारे का शोधन सही प्रकार से किया जा रहा है?

6. इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड मे पारे की एक निश्चित मात्रा 2.0 PPM को कायम रखा जाता है?

7. कंपनी द्वारा निकलने वाले सह उत्पाद Calomel(मरक्यूरस क्लोराइड) को किसे बेचा जाता है?प्रति वर्ष इसकी उत्पादकता क्या है?

8. कंपनी के अन्य प्लांटों देबारी,दरीबा मे जहां यह सिस्टम नहीं लगा हुआ है वहाँ से निकलने वाला पारा आखिर कहाँ जा रहा है?प्रदूषण विभाग के उदयपुर और राजसमंद के अधिकारी अपनी रिपोर्ट का खुलासा क्यूँ नहीं कर रहे है?क्या उनकी यह हरकत कंपनी के साथ उनकी मिलीभगत को नहीं दर्शाती?

9. कंपनी द्वारा इतने सालो मे कितनी मात्रा मे सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया गया?किन किन उद्योगों-कारखानो को बेचा गया?जिन जिन कारखानों मे जैसे सीमेंट,खाद एवं उर्वरक कारखानों मे हिंदुस्तान ज़िंक लि. द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई की जाती है, वहाँ के उत्पादों मे पारे की उपस्थिति/मात्रा का पता क्यूँ नहीं लगवाया जा रहा है?

10. स्मेल्टर से निकलने वाले, एसिडयुक्त पानी और जहरीली गैसों से खेत खलिहानो,मनुष्यों,समुद्री जीवो को हो रहे जानोमाल के नुकसान की एक वजह क्या पारा नहीं है? क्या राज्य सरकार हिंदुस्तान ज़िंक लि. की खानो,स्मेल्टरो प्रोसेसिंग यूनिटों के आस-पास स्थित कुओं,तालाबों,नदी-नालों के पानी,वहां की आबो-हवा,स्थानीय निवासियों,जानवरो के स्वास्थ्य का परीक्षण कर, पारे से हो रहे जानोमाल के नुकसान का आंकलन करवाएगी?आज दिनांक तक कंपनी द्वारा कितना मुआवजा/हर्जा-खर्चा इस पेठे दिया गया है?